न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0
पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

तारीख फैसला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 20-01-25 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0
पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
143 / 2021	22-05-2014	30.01.2024

उनवान

01. छगनलाल पुत्र श्री छाजूराम सैनी जाति माली निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा

———:: वादी

बनाम

01. अतरसिंह पुत्र सुमरिया
02. मोहन पुत्र परताराम जातियान अहीर निवासीगण ग्राम अरालीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा
03. उदयसिंह पुत्र भगवाना जाति माली निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा

——————:: प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नं० 6 रकबा 0.33 है0, 7 रकबा 0.29 है0, 8 रकबा 0.29 है0, 9 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम सैदपुर बारका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा की आराजी है। जो इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा जमाबन्दी सम्वत 2069 लगायत 2072 सलंग्न वाद पत्र है। उपरोक्त आराजी मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन दरामद हो रहा है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। प्रतिवादीगण गैरकाबिज, गैरवास्ता आराजी है। प्रतिवादी सं०–3 की आराजी मिन वादी की आराजी के साथ लगती हुई है। प्रतिवादीगण आपस में साज बाज होकर उक्त विवादित पर बेईमानीपूर्वक आशय से लटठ के बल पर प्रतिवादी सं0–3 की आराजी में कब्जा कर मिलाना चाहते है। जिसका की उन्हें कानूनन कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। प्रतिवादीगण जबरदस्त लड़ाका एवं मुठमर्द किस्म के आदमी है। जो कानुन कायदे की कतई परवाह नहीं करते हैं। जो आये दिन मिन वादी के हिस्से की आराजी में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते हैं और लटठ के बल पर मिन वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा निर्माण कार्य प्रतिवादी सं0–3 की आराजी में मिलाना चाहते है। जिसका कि उसे कानूनन कोई हक व अधिकार हासिल नहीं हैं। दिनांक 18.05. [illegible] प्रतिवादीगण ने नापाक इरादे जाहिर करते हुये मिन वादी के हिस्से की आराजी पर आकर मजाहमत [illegible] जबरन वादी के हिस्से में निर्माण करने का और कब्जा करने का असफल प्रयास किया एवं [illegible] तौर पर धमकी दी कि वादी को उक्त आराजी में निर्माण कर जबरन बेदखल करेगें यदि प्रतिवादीगण [illegible] नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन वादी को अपूर्णीय क्षति होगी । जिसकी पूर्ति रूपयो में आंकी जाना सम्भव नहीं होगी और दीगर मुकदमेंबाजी में पड़ना पड़ेगा तथा अपने हकूक खातेदारी की आराजी से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए मिन वादी, प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। हकूक मिन वादी कानून द्वारा रक्षित है और मिन वादी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज एवं दखिल चला आ रहा है। अतः अपने हकूक रक्षा हेतु वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र मिन वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें डिक्री इजराय हुक्मइम्तनाई दवामी पारित की जाकर असल प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को पाबन्द किया जावें कि वो विवादित 6 रकबा 0.33हैo, 7 रकबा 0.29हैo, 8 रकबा 0.29हैo, 9 रकबा 0. 31हैo वाके ग्राम सैदपुर बारका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा से मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना करें, ना ही जबरन नींव खोदकर निर्माण करें, ना ही जबरन बेदखल करें, ना ही वादी के आने जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध करें। मौका की यथास्थिति बनाये रखें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र एवं हरिराम पुत्र गोपाल जाति सैनी निवासी तिजारा व कैलाश पुत्र गिरवा सिंह जाति सैनी निवासी तिजारा का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई बहस वादी की एकतरफा सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2069 लगायत 2072 अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नं० 6 रकबा 0.33 हैo, 7 रकबा 0.29 हैo, 8 रकबा 0. 29 हैo, 9 रकबा 0.31 हैo वाके ग्राम सैदपुर बारका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में वादी खातेदार अंकित है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी हाल खसरा नं० 6 रकबा 0.33 हैo, 7 रकबा 0.29 हैo, 8 रकबा 0.29 हैo, 9 रकबा 0.31 हैo वाके ग्राम सैदपुर बारका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादी के नाम दर्ज खातेदारी हिस्से की भूमि पर वादी की कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने, जबरन कब्जा नहीं करने व निर्माण नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0
पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
143/2021	22–05–2014	30.01.2024

उनवान

01. छगनलाल पुत्र श्री छाजूराम सैनी जाति माली निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा

——:: वादी

बनाम

01. अतरसिंह पुत्र सुमरिया
02. मोहन पुत्र परताराम जातियान अहीर निवासीगण ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा
03. उदयसिंह पुत्र भगवाना जाति माली निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा

———:: प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पर्चा डिक्री

हाल खसरा नं० 6 रकबा 0.33 है0, 7 रकबा 0.29 है0, 8 रकबा 0.29 है0, 9 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम सैदपुर बारका तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादी के नाम दर्ज खातेदारी हिस्से की भूमि पर वादी की कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने, जबरन कब्जा नहीं करने व निर्माण नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल - तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:33 IST
Reason: SelfAttested